

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पालीटेक्निक)-2017 की काउन्सिलिंग प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थियों के लिए निर्देश

संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2017 के परिणाम के आधार पर अभ्यर्थियों को संस्था व पाठ्यक्रम का आवंटन उनकी मेरिट, उनके द्वारा दिये गये विकल्पों व आरक्षण के आधार पर आनलाइन काउन्सिलिंग द्वारा किया जायेगा। काउन्सिलिंग हेतु निम्नवत् प्रक्रियाएं अभ्यर्थी को आनलाइन करनी होगी :-

1. सभी प्रक्रियाएं दिये गये काउन्सिलिंग शिड्यूल के समयान्तर्गत रहेंगी।
2. यह आनलाइन काउन्सिलिंग प्रक्रिया चार चरणों में सम्पन्न की जायेगी।
3. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि काउन्सिलिंग के समय उनके पास न्यूनतम शैक्षिक अर्हता का अंक पत्र व प्रमाण-पत्र मूल रूप में उपलब्ध हो तथा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र नवीनतम हो।
4. अर्ह अभ्यर्थी को एन०आई०सी० के पोर्टल jeecup.nic.in पर रोल नम्बर व फार्म के समय सृजित पासवर्ड से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के पश्चात अभ्यर्थी को एस०बी०आई० MOPS (डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, चालान आदि) के द्वारा ₹० 250/- जमा करने होंगे। सफल मुद्रा हस्तान्तरण के पश्चात अभ्यर्थी विकल्प देने के लिए अर्ह होगा।
5. जिन अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन कार्य सम्पन्न हो गया है, वह अभ्यर्थी अपनी च्वाइस फिलिंग का कार्य लॉगिन (आई०डी० व पासवर्ड) की सहायता से कर सकते हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी को उसके वर्ग के अनुसार संस्था व पाठ्यक्रम के विकल्प दिखेंगे, जिसमें वह अपने वरीयताक्रम के आधार पर विकल्पों का चयन कर सकता है। चयन का क्रम ऊपर से नीचे की ओर वरीयता के आधार पर माना जायेगा। अभ्यर्थी उपलब्ध विकल्पों को अपने वरीयताक्रम में शामिल करेगा। अभ्यर्थी के विकल्प चुनने की कोई सीमा नहीं होगी। विकल्प चयन कार्य के पूर्ण होने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा विकल्पों की सूची को अपने पासवर्ड द्वारा लॉक किया जायेगा। लॉक करने के उपरान्त कोई भी विकल्प बदले नहीं जा सकते हैं। प्रत्येक चरण में अर्ह अभ्यर्थी को अपने विकल्पों की प्राथमिकता/विकल्पों को बदलने का अवसर होगा। बाद के चरणों में जिन अभ्यर्थियों को कोई आवंटन प्राप्त है यदि वे विकल्पों को बदलते हैं तो उन्हें वर्तमान आवंटित संस्था के विकल्प को भी अपने विकल्प श्रेणी में रखना होगा।
6. प्रत्येक चरण में अर्ह अभ्यर्थियों का आवंटन मेरिट, संस्था व पाठ्यक्रमों के विकल्पों, आरक्षण तथा सीटों की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा। सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा अपना रोल नम्बर व जन्मतिथि डालकर आवंटन पत्र प्राप्त किया जा सकता है। यदि किसी अभ्यर्थी को सीट आवंटित होती है तो उसको निर्धारित तिथियों के अन्दर ₹० 3000/- की **Seat Acceptance Fee** एस०बी०आई० MOPS (डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, चालान आदि) द्वारा जमा करना सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा की स्थिति में उसका अभ्यर्थन इस वर्ष की काउन्सिलिंग के समस्त चरणों से समाप्त कर दिया जायेगा। **Seat Acceptance Fee** ₹० 3000/- को केवल अभ्यर्थी के द्वारा देय संस्था की फीस में समायोजित किया जायेगा। **Seat Acceptance Fee** जमा करने के पश्चात प्रथम बार आवंटन पाये हुए सभी अभ्यर्थियों को अपने आवंटित संस्था में प्रवेश प्रक्रिया से सम्बन्धित समस्त मूल अभिलेखों के परीक्षण के लिए स्वयं अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होगा।
7. परिषद द्वारा सम्बन्धित सभी संस्थाओं को **RC (Reporting Center)** यूजर बनाया जायेगा, जो उनकी संस्था को आवंटित अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों की जांच करेंगे व **JEEC** के आनलाइन काउन्सिलिंग के पोर्टल पर सॉफ्टवेयर में सत्यापित करते हुए अपने पासवर्ड से लॉक करेंगे। जिन अभ्यर्थियों के अभिलेख सही पाये जायेंगे उन्हें **Provisional Admission Letter** दिया जायेगा व जिन अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन नहीं हो पायेगा उनको आवंटित सीट रद्द हो जायेगी। यदि किसी अभ्यर्थी का आवंटन उस पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक अर्हता पूर्ण न करने के कारण निरस्त किया जाता है तो वह अभ्यर्थी पूर्ण रूप से काउन्सिलिंग प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा। यदि किसी अभ्यर्थी के आवंटन ऐसे आधार पर निरस्त किया जाता है जिसके आधार पर वह काउन्सिलिंग प्रक्रिया में नये वर्ग व प्रमाण-पत्र के साथ शामिल हो सकता है तो उसकी सीट रद्द कर दी जायेगी लेकिन अगले चरण में ऐसे अभ्यर्थी बदले हुए वर्ग के अनुसार काउन्सिलिंग के लिए अर्ह होगा। विस्तार से जानने के लिए वेबसाइट की लिंक "**Seat Cancellation Rules**" को देखें।
8. जिन अभ्यर्थियों द्वारा **Seat Acceptance Fee** ₹० 3000/- जमा कर दिया जायेगा, ऐसे अभ्यर्थियों को अपने आवंटित संस्था में **Freeze** व **Float** का विकल्प, विकल्प पत्र द्वारा देना होगा, जिसकी एक प्रति अभ्यर्थी के पास तथा एक सम्बन्धित संस्था के पास रहेगी।
9. प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रथम बार सीट आवंटित होने पर तत्सम्बन्धी संस्था में जाकर अपने अभिलेखों की जांच करानी होगी, अन्यथा की स्थिति में उसका अभ्यर्थन इस वर्ष की काउन्सिलिंग के समस्त चरणों से समाप्त कर दिया जायेगा। एक बार अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच सही पाये जाने के उपरान्त किसी अन्य चरण में संस्था परिवर्तन होने पर उनके अभिलेखों की पुनः जांच नहीं करानी होगी।
10. काउन्सिलिंग से सम्बन्धित किसी भी तरह की समस्या होने पर अभ्यर्थी अपना स्कोर कार्ड व प्रार्थना-पत्र स्कैन कर jeecuphelp@gmail.com पर भेजें।

अभ्यर्थी द्वारा काउन्सिलिंग प्रक्रिया में निम्न कार्य किये जाने होंगे :-

- 1. रजिस्ट्रेशन** – समस्त अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा काउन्सिलिंग की वेबसाइट पोर्टल <http://jeecup.nic.in> पर जाकर रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फार्म नम्बर तथा पासवर्ड (आवेदन पत्र जमा करने के समय बनाया गया)। यदि अभ्यर्थी को पासवर्ड याद नहीं है तो वह **Forgot Password** के विकल्प का चयन करेगा तथा अभ्यर्थी द्वारा नया पासवर्ड निर्मित किया जायेगा। अभ्यर्थी को इस बात का वचन देना होगा कि उसके द्वारा दिये गये न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, आरक्षण (नवीनतम) व अन्य सम्बन्धित प्रमाण-पत्र के मूल उसके पास उपलब्ध हैं। रजिस्ट्रेशन के पश्चात काउन्सिलिंग फीस जमा करनी होगी। काउन्सिलिंग फीस हेतु ₹0 250/- दिये गये विकल्पों यथा- नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड अथवा बैंक चालान (भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में) के माध्यम से जमा करना होगा। प्रत्येक अभ्यर्थी से काउन्सिलिंग फीस समस्त चरणों हेतु एक ही बार ली जायेगी। काउन्सिलिंग फीस किसी भी दशा में वापस अथवा हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
- 2. च्वाइस फिलिंग** – जिन अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन कार्य सम्पन्न हो गया है, वह अभ्यर्थी अपनी च्वाइस फिलिंग का कार्य लॉगिन (आई0डी0 व पासवर्ड) की सहायता से कर सकते हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी को उसके वर्ग के अनुसार संस्था व पाठ्यक्रम के विकल्प दिखेंगे, जिसमें वह अपने वरीयताक्रम के आधार पर विकल्पों का चयन कर सकता है। चयन का क्रम ऊपर से नीचे की ओर वरीयता के आधार पर माना जायेगा। अभ्यर्थी उपलब्ध विकल्पों को अपने वरीयताक्रम में शामिल करेगा। अभ्यर्थी के विकल्प चुनने की कोई सीमा नहीं होगी। विकल्प चयन कार्य के पूर्ण होने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा विकल्पों की सूची को अपने पासवर्ड द्वारा लॉक किया जायेगा। लॉक करने के उपरान्त कोई भी विकल्प उस चरण के लिए बदले नहीं जा सकते हैं। प्रत्येक चरण में अर्ह अभ्यर्थी को अपने विकल्पों के चयन की प्राथमिकता को बदलने का अवसर होगा। बाद के चरणों में जिन अभ्यर्थियों को कोई आवंटन प्राप्त है यदि वे विकल्पों को बदलते हैं तो उन्हें वर्तमान आवंटित संस्था के विकल्प को भी अपने विकल्प श्रेणी में रखना होगा।
- 3. आवंटन** : प्रत्येक चरण में अर्ह अभ्यर्थियों का आवंटन मेरिट, संस्था व पाठ्यक्रमों के विकल्पों, आरक्षण तथा सीटों की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा। सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी की लॉगिन आई0डी0 पर उसका आवंटन दिया जायेगा। यदि किसी अभ्यर्थी को सीट आवंटित होती है तो उसको निर्धारित तिथियों के अन्दर ₹0 3000/- की **Seat Acceptance Fee** जमा करना सुनिश्चित करना होगा अन्यथा की स्थिति में उसका अभ्यर्थन इस वर्ष की काउन्सिलिंग के समस्त चरणों से समाप्त कर दिया जायेगा। **Seat Acceptance Fee** ₹0 3000/- को केवल अभ्यर्थी के अन्तिम रूप से आवंटित संस्था की फीस में समायोजित किया जायेगा।
- 4. डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन** : अभ्यर्थी का डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन उसको पहली बार आवंटित संस्था में कराना होगा। अभ्यर्थी को अपने समस्त शैक्षिक, आरक्षण (नवीनतम) व अन्य प्रमाण-पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) की मूल प्रति, समस्त प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति (दो सेट) व दो फोटोग्राफ लाने होंगे। आवंटित संस्था द्वारा समस्त प्रमाण-पत्रों की जाँच की जायेगी तथा उनके सही पाये जाने पर काउन्सिलिंग वेबसाइट पर आनलाइन अपडेट किया जायेगा।
यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन नहीं कराया जाता है तो अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा वह इस वर्ष की काउन्सिलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन पर आवंटन के समय किसी भी चरण में विचार नहीं किया जायेगा।
यदि अभ्यर्थी के प्रमाण-पत्रों में कमी पायी जाती है तो निम्न प्रकार के निर्णय, नियमों के अनुसार संस्था द्वारा लिये जायेंगे।
 1. कमी यदि इस तरह की है, जिसका निराकरण सम्भव नहीं है, यथा- अकादमिक योग्यता, आयु (01.07.2017 को न्यूनतम 14 वर्ष), **Domicile** आदि तो अभ्यर्थी को आवंटित सीट निरस्त हो जायेगी तथा अभ्यर्थी काउन्सिलिंग प्रक्रिया से इस वर्ष के लिए बाहर हो जायेगा।
 2. कमी यदि इस तरह की है, जिससे अभ्यर्थी के आवंटन पर प्रभाव पड़ता है लेकिन वह काउन्सिलिंग के लिए अर्ह रह जाता है तो अभ्यर्थी का आवंटन निरस्त करते हुए उसे अगले चरण में बदले हुए वर्ग के अनुसार काउन्सिलिंग हेतु अर्ह माना जायेगा।
- 5. सम्मति (Willingness)** : आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को ₹0 3000/- की **Seat Acceptance Fee** जमा करनी होगी तथा **Freeze** व **Float** का विकल्प देना होगा। इस प्रक्रिया को करने के बाद आवंटन पाये हुए सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने **Freeze/Float** का विकल्प दिया है, अपने आवंटित संस्था में प्रवेश प्रक्रिया से सम्बन्धित समस्त मूल अभिलेखों के परीक्षण के लिए निर्धारित समय के अन्दर स्वयं उपस्थित होना होगा।
जिन अभ्यर्थियों द्वारा **Seat Acceptance Fee** ₹0 3000/- जमा कर दिया जायेगा, ऐसे अभ्यर्थियों को अपने आवंटित संस्था में **Freeze** व **Float** का विकल्प, विकल्प पत्र द्वारा देना होगा।
 - (1) **FREEZE** – इस विकल्प में अभ्यर्थी को दी गई सीट अन्तिम मानी जायेगी तथा अगले चरणों की काउन्सिलिंग प्रक्रिया से उसको अलग कर दिया जायेगा।
 - (2) **FLOAT** – इस विकल्प में अभ्यर्थी को अपग्रेड करने का विकल्प रहेगा तथा वह अगले चरणों की काउन्सिलिंग के लिए अर्ह रहेगा। अभ्यर्थी को आवंटित सीट उसको तब तक आवंटित रहेगी जब तक विकल्पों के वरीयताक्रम में

आवंटित सीट से ऊपर की सीट उसको न मिल जाय। यदि उनकी सीट अपग्रेड होती है तो पिछली सीट पर उनका अधिकार स्वतः समाप्त हो जायेगा व वह सीट अन्य अभ्यर्थी को नियमानुसार आवंटित हो जायेगी।

6. **आवंटित संस्था में प्रवेश** – यदि अभ्यर्थी के समस्त अभिलेख सही पाये जाते हैं और उसने **Freeze** का विकल्प दिया है तो आवंटित संस्था के **PI (Participating Institute)** यूजर द्वारा प्रवेश प्रक्रिया एवं फीस जमा की जायेगी। **Float** का विकल्प देने वाले अभ्यर्थी को उनके अपने विकल्प को **Freeze** करने पर प्रवेश के लिए अन्तिम आवंटित संस्था में प्रवेश प्रक्रिया व फीस जमा करने के लिए जाना होगा।

चतुर्थ/अन्तिम चरण में आवंटन पाये हुए सभी अभ्यर्थियों को अपनी अन्तिम आवंटित संस्था में प्रवेश के लिए जाकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी व फीस जमा करनी होगी। जो अभ्यर्थी यह नहीं करेंगे उनका आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

Float विकल्प वाले अभ्यर्थी को भी अनिवार्य रूप से उन्हें प्रथम बार आवंटित संस्था में स्वतः जाकर अपने डाक्यूमेन्ट का वेरीफिकेशन कराना है, अन्यथा उनका आवंटन निरस्त हो जायेगा। यह मानते हुए कि ऐसे अभ्यर्थी प्रवेश के लिए इच्छुक नहीं हैं तथा उनको काउन्सिलिंग प्रक्रिया से इस वर्ष के लिए पूर्ण रूप से बाहर कर दिया जायेगा।

यह आनलाइन काउन्सिलिंग प्रक्रिया चार चरणों में सम्पन्न की जायेगी।

1. **पहला चरण** – इस चरण में सभी अर्ह अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं तथा सभी सीटें अपने उर्ध्वाधर (**OPEN, OBC, SC, ST**) व क्षैतिज (**GIRL, MP, FF, PH**) आरक्षण के अन्तर्गत रहेंगी।
2. **दूसरा चरण** – इस चरण में निम्न अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं :-
 - (1) प्रथम चरण में नहीं शामिल हुए अर्ह अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं।
 - (2) प्रथम चरण के ऐसे अभ्यर्थी जिनको आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है अपने विकल्पों में परिवर्तन के साथ आवंटन हेतु अर्ह रहेंगे।
 - (3) ऐसे अभ्यर्थी जिनको पिछले चरणों में आवंटन प्राप्त हुआ है और जिन्होंने **Float** का विकल्प चुना है अपने पूर्व के विकल्पों के आधार पर आवंटन हेतु अर्ह रहेंगे, किन्तु इन्हें वर्तमान आवंटित संस्था को अपने विकल्पों की वरीयता सूची में रखना होगा। यदि उनकी सीट अपग्रेड होती है तो पिछली सीट पर उनका अधिकार स्वतः समाप्त हो जायेगा व वह सीट अन्य अभ्यर्थी को नियमानुसार आवंटित हो जायेगी।
 - (4) ऐसे अभ्यर्थी जिनको पिछले चरण में आवंटन प्राप्त हुआ था लेकिन प्रमाण-पत्रों की कमी की वजह से उनकी सीट निरस्त हो गई थी, किन्तु नये वर्ग के साथ वह काउन्सिलिंग के लिए अर्ह हैं।
3. **तीसरा चरण** – इस चरण में निम्न अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं :-
 - (1) पिछले चरणों में नहीं शामिल हुए अर्ह अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं।
 - (2) पिछले चरणों के ऐसे अभ्यर्थी जिनको आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है अपने विकल्पों में परिवर्तन के साथ आवंटन हेतु अर्ह रहेंगे।
 - (3) ऐसे अभ्यर्थी जिनको पिछले चरणों में आवंटन प्राप्त हुआ है और जिन्होंने **Float** का विकल्प चुना है अपने पूर्व के विकल्पों के आधार पर आवंटन हेतु अर्ह रहेंगे, किन्तु इन्हें वर्तमान आवंटित संस्था को अपने विकल्पों की वरीयता सूची में रखना होगा। यदि उनकी सीट अपग्रेड होती है तो पिछली सीट पर उनका अधिकार स्वतः समाप्त हो जायेगा व वह सीट अन्य अभ्यर्थी को नियमानुसार आवंटित हो जायेगी।
 - (4) ऐसे अभ्यर्थी जिनको पिछले चरण में आवंटन प्राप्त हुआ था लेकिन प्रमाण-पत्रों की कमी की वजह से उनकी सीट निरस्त हो गई थी, किन्तु नये वर्ग के साथ वह काउन्सिलिंग के लिए अर्ह हैं।

इस चरण में क्षैतिज आरक्षण की सीटों को उर्ध्वाधर वर्ग में शामिल करते हुए आवंटन किया जायेगा।
4. **चौथा चरण** – इस चरण में निम्न अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं :-
 - (1) पिछले चरणों में नहीं शामिल हुए अर्ह अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं।
 - (2) पिछले चरणों के ऐसे अभ्यर्थी जिनको आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है अपने विकल्पों में परिवर्तन के साथ आवंटन हेतु अर्ह रहेंगे।
 - (3) ऐसे अभ्यर्थी जिनको पिछले चरणों में आवंटन प्राप्त हुआ है और जिन्होंने **Float** का विकल्प चुना है अपने पूर्व के विकल्पों के आधार पर आवंटन हेतु अर्ह रहेंगे, किन्तु इन्हें वर्तमान आवंटित संस्था को अपने विकल्पों की वरीयता सूची में रखना होगा। यदि उनकी सीट अपग्रेड होती है तो पिछली सीट पर उनका अधिकार स्वतः समाप्त हो जायेगा व वह सीट अन्य अभ्यर्थी को नियमानुसार आवंटित हो जायेगी।
 - (4) ऐसे अभ्यर्थी जिनको पिछले चरण में आवंटन प्राप्त हुआ था लेकिन प्रमाण-पत्रों की कमी की वजह से उनकी सीट निरस्त हो गई थी, किन्तु नये वर्ग के साथ वह काउन्सिलिंग के लिए अर्ह हैं।

इस चरण में उर्ध्वाधर वर्ग की सभी सीटों को **OPEN** वर्ग में शामिल करते हुए आवंटन किया जायेगा।

चतुर्थ/अन्तिम चरण की समाप्ति के उपरान्त सभी अभ्यर्थियों का विकल्प **Freeze** माना जायेगा व उन्हें अपनी अन्तिम आवंटित संस्था में प्रवेश हेतु जाना होगा।